

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01, सुलतानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या- 309/2023

राज्य -----बनाम----- संतोष कुमार

मु०अ०सं० 121/2022,

धारा 306 भा०दं०सं०,

थाना मोतिगरपुर, जिला सुलतानपुर।

आरोप

मैं, अभय श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 1, सुलतानपुर, आप अभियुक्त, संतोष कुमार को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 04.02.2022 को समय लगभग 03.00 बजे रात्रि वहद् स्थान ग्राम मलवा, थाना मोतिगरपुर, जिला सुलतानपुर में आपने वादी मुकदमा की बहन तारा सिंह को आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण किया। हुई। इस प्रकार आपने धारा 306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-23.12.2023

(अभय श्रीवास्तव)

(J.O. CODE UP6216)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।

उपरोक्त आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की याचना की।

दिनांक-23.12.2023

(अभय श्रीवास्तव)

(J.O. CODE UP6216)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-01, सुलतानपुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01, सुलतानपुरा

सत्र परीक्षण संख्या- 309/2023

राज्य -----बनाम----- संतोष कुमार

मु०अ०सं० 76/2017,

धारा 306 भा०दं०सं०,

थाना मोतिगरपुर, जिला सुलतानपुरा।

दिनांक:-23.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त संतोष कुमार मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को आरोप के बिन्दु पर सुना। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त संतोष कुमार के विरुद्ध धारा 306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और परीक्षण की याचना की। पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 17.02.2024 को पेश हो।

(अभय श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-01, सुलतानपुरा